

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या-1745 / छः-पु0-9-19-20(10)(16) / 88टी.सी.
लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2019

**अधिसूचना
(शक्ति)**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-02 सन् 1974) की धारा-21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा जून, 2019 (SEMESTER SYSTEM/ANNUAL SYSTEM/ DUAL SYSTEM) के समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को दिनांक 01.07.2019 से 06.07.2019 तक, दिनांक 08.07.2019 से 13.07.2019 तक एवं दिनांक 15.07.2019 से 20.07.2019 तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्र, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

आज्ञा से,

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या--1745(1) / छः-पु0-9-19-20(10)(16) / 88टी.सी.तददिनांक:

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4, खण्ड-"ख" में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 10 गजट प्रतियां शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

वीरेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

संख्या--1745(2) / छः-पु0-9-19-20(10)(16) / 88टी.सी.तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश।
- (4) अध्यक्ष, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ(फोन/फैक्स नम्बर-0522-2336115, ईमेल-vppuplucknow@gmail.com)।
- (5) सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-9411/रा0व्या0प्रशि0परि0/अ0भा0व्या0परी0, जून-2019/ईएक्स-005, दिनांक 04.06.2019 के संदर्भ में।
- (6) संबंधित केन्द्र अधीक्षक(द्वारा-राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ)।
- (7) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अनुभाग-4/गोपन अनुभाग-2
- (8) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।
- (9) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से
वीरेन्द्र सिंह
अनु सचिव।